

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/—/19, लखनऊ:: दिनांक : :01:: अक्टूबर:-2019,

--: आदेश :-

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-1629/19 दिनांक 16.09.2019 द्वारा दिनांक 21.10.19 से 26.10.19 तक के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-झॉसी के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-झॉसी (न्यायिक) एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-मुजफ्फरनगर (विभागीय) को सम्मिलित करते हुए झॉसी में खंड पीठ गठित की गयी थी।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-झॉसी द्वारा पत्रांक-277/19 दिनांक 23.09.19 के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि जिला अधिकारी, झॉसी द्वारा दिनांक 26.10.19 को झॉसी में स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया गया है।

अतः सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-झॉसी द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए झॉसी में गठित उक्त खंड पीठ की तिथियों (दिनांक 21.10.19 से 26.10.19) में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 26.10.19 (एक दिवस) की खंड पीठ निरस्त की जाती है। खण्डपीठ की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0-01.10.19

(प्रेम कला सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन/1669/2019, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-झॉसी
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-मुजफ्फरनगर।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।